


फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी-सूरतगढ

मनीष कुमार बनाम विमला देवी व अन्य

किस्म मुकदमा:- 88-188-92A-202202 RJA प्रकरण संख्या:- 14 / 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
29.1.19	आज यह पत्रावली वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये पंजीकृत एवं साधारण समन तलब किया जावे ताकि दावा में तलवी हेतु अधिक समय व्यतीत नहीं हो तथा वादी को शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके। पत्रावली तलवी होकर दिनांक 4.4.19 को पेश हो।	
4.4.19	वनोल वादी उपस्थित। जति. लं. 1 की ओर से श्री बलदेव विश्वेश्वर Adv द्वारा पूर्व में कालानामा पेश किया शामिल मिलन किया गया। जतिवादी लं. 3 को आवेजे लागवार गइ, वकइ इंचना हाजिर नही आने पर इनके विरुद्ध एन वरीप कार्यवाही नही जाली है। पत्रावली वास्ते जवाब इका जतिवादी 1-2 दिनांक 19.6.19 को पेश हो।	
19.6.19	पत्रावली पेश हुई प्राथी/ वकील उभय पक्ष हजिर SDO साठे दारे पर/ अन्वयकार/ अन्व कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 19.6.19 को पेश हो	
10/7/19	आज यह पत्रावली वकील वादी द्वारा प्रारम्भ पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गयी। वादी ने विवेक विना की विस्तारों से वादी व प्रतिवादीगण को विवाह विवाद समाप्त बुद रिदा है, वादी व प्रतिवादीगण उ मस्य को ही विवाद नही रहा है, वादी वाद पत्र को ठागे नही चलाग चाहते है। अतः वाद पत्र को इपी ल्या पर दिशा दिया जावे। पत्रावली का अपलोफत दिना वादी इच्छा वादीपत्र को ठागे नही चलाग चाहते है, दिशा फरमा चाहते है। अतः वाद पत्र इपी ल्या पर दिशा दिने जावे कि कडिया दिने जाते है। वादी की शिकायत परील की भागीरवा दिनांक हात ली गइ। ठागे से कड लेका दा।	Manish 

अद्वैत शास गणत
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ